प्रकरण संख्या 2/2017 भीखा बनाम प्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में कंडोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में हम सर्वप्रथम अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा पेश शुदा आवेदन आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वह अपंजीकृत दस्तावेज होकर अधिकतम इकरारनामा है, जिसे अपील स्तर पर ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य, प्रासंगिकता तथा विधिकता नहीं है। अतएवं आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–07–2016 को रखा गया तथा यह प्रकट आया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा भी प्रकरण में भीखा व लाला स्वयं द्वारा यह बयान दिये ये कि विठला उसका भाई था जिसके पुत्र प्रकाश व राकेश हैं, जिन्होंने हमारे विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर हमारे खाते की भूमि में अपना नाम दर्ज कराना चाहा है। हम दोनों भाई आपसी राजी खुशी से प्रकाश व राकेश को दो बीघा भूमि देना चाहते हैं। प्रकरण में पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में वादी क साक्ष्य में लम्बित थी। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा स्वयं यह स्वीकारोक्ति दी गयी है कि वादीगण के पिता विठला उनका भाई था। विवादित भूमि रामेंग की होना तथा रामेंग के तीन पुत्र भीखा, विठला व लाला होना स्वीकृत है, तद्नुसार राजेंग की भूमि में तथा स्वयं अपीलान्ट/प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति अनुसार राजेंग के पुत्र विठला के पुत्र वादीगण का भी समान हक अधिकार है, जबकि विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 33 रामेंग की विरासत में विठला का नाम अंकित होना रह गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के प्रमाणन के कारण ही विवादित भूमियों में वादीगण को विठला का हक दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की विधिवत पालना करते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2016 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 2/2017 भीखा बनाम प्रकाश

प्रकरण संख्या 2/2017 भीखा बनाम प्रकाश